मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 1996 (माघ 26, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, मंडला जिले के अनेक ग्रामों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बच्चों में विकलांगता की स्थिति उत्पन्न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, थावरचन्द गेहलोत, बाबूलाल जैन, सदस्य, उज्जैन की सेठ गोविंदराम शुगर मिल चालू न होने से कृषकों के गन्ने की बिक्री न होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री शंकर प्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

निर्धारित समय

4. वर्ष 1995–96 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

(3.00 बजे तक)

" दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75 तथा 76 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन सौ सैंतीस करोड़, अड़सठ लाख, बारह हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय".

1 घन्टा

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1996 (क्रमांक 1 सन् 1996) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घन्टा

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1994–95) तथा लोक आयुक्त संगठन का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994–95 (व्याख्यात्मक ज्ञापन) पर चर्चा (क्रमशः).

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में ओला वृष्टि एवं इल्ली के प्रकोप से फसलों की हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गौरीशंकर बिसेन, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री बच्चन नायक, श्री रामलखन शर्मा, श्री सुरेश चौधरी, श्री कमल पटेल, श्री मोती कश्यप, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री दिलीप भटेरे, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री निर्भय सिंह पटेल एवं श्री राजकुमार पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 फरवरी, 1996